अनुदान संख्या 35 - राजस्व विभाग
GRANT No. 35 - DEPARTMENT OF REVENUE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	165054,05,00	165054,06,00	159472,47,00	-5581,59,00
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5920,69,17
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	531,96,00	531,98,00	449,68,42	-82,29,58
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,59,56

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹592069.17 लाख) ₹558159.00 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः –

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹592069.17 lakhs) exceeded the overall savings of ₹558159.00 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services					
मू.	O.	34939.00		35650.35	34891.15	-759.20
पु.	R.	711.35				
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य वित्तीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services					
मू.	O.	106815.00				
पू.	S.	1.00		118049.20	117158.14	-891.06
पु.	R.	11233.20				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	8322.00		9480.07	9226.72	-253.35
पु.	R.	1158.07				
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries					
मू.	O.	55326.00		51382.52	49503.30	-1879.22
पु.	R.	-3943.48				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	15500002.00		15162144.02	15062812.74	-99331.28
पु.	R.	-337857.98				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	800001.00	536630.67	673654.95	+137024.28
पु.	R.	-263370.33			

(I) ₹364.60 लाख का प्रावधान (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹364.60 lakhs (including token supplementary grant of 0.60 lakh obtained in March, 2025) remained wholly unutilized under seven heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी" के अंतर्गत ₹1440.90 लाख की बचत (₹3056.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के साथ पट्टा समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से भवन के किराए के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Principal Chief Controller of Accounts, CBDT" - saving of ₹1440.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3056.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards rent of building owing to non-finalisation of lease agreement with New Delhi Municipal Council.

(III) मुख्य शीर्ष "2047" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2047" - savings occurred under the following heads: -

(का) "तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 – जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण" – ₹680.22 लाख की बचत (₹1438.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को किराए के भुगतान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(A) "Smugglers and Foreign 'Exchange Manipulators' (Forfeiture of Property) Act, 1976 - Appellate Tribunal for Forfeited Property" - saving of ₹680.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1438.00 lakhs) was due to non-finalisation of release of payment of rent to New Delhi Municipal Council.

(खा) "सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण – अपीलीय न्यायाधिकरण" – ₹10108.09 लाख की बचत (₹16460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(B) "Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal - Appellate Tribunal" - saving of ₹10108.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16460.00

तुलना में) माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण की किसी भी शाखा द्वारा काम न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम और अल्कलॉइड उद्योग" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "गाजीपुर अफीम फैक्टरी – अफीम की खरीद" – ₹761.63 लाख की बचत (₹5223.88 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा हस्तांतरित अफीम की कम कीमत होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "नीमच अफीम फैक्ट्री" –

(क) "प्रबंधन" – ₹728.33 लाख की बचत (₹3551.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम और सांद्रित पोस्त भूसा (सीपीएस) के परिवहन, वाहनों को किराये पर लेने, भत्ते, प्रयोगशाला रसायनों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अफीम की खरीद" – ₹2017.62 लाख की बचत (₹13281.01 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(गा) "नीमच अल्कलॉइड वर्क्स" –

(क) "प्रबंधन" – ₹1085.58 लाख की बचत (₹4973.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, रसायनों, छुट्टी यात्रा रियायत और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय" – ₹2133.63 लाख की बचत (₹10110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

lakhs) was due to no bench of Goods and Services Tax Appellate Tribunal being functional.

(IV) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium" - saving of ₹761.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5223.88 lakhs) was due to lower cost of opium transferred by Central Bureau of Narcotics and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Neemuch Opium Factory" -

(a) "Management" - saving of ₹728.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3551.75 lakhs) was due to requirement of less funds towards transportation of Opium and Concentrated Poppy Straw (CPS), hiring of vehicles, allowances, lab chemicals, Central Industrial Security Force security and other establishment related expenses.

(b) "Purchase of Opium" - saving of ₹2017.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13281.01 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Neemuch Alkaloid Works" -

(a) "Management" - saving of ₹1085.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4973.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards chemicals, leave travel concession and other establishment related expenses.

(b) "Other Expenditure" - saving of ₹2133.63 lakhs (against the sanctioned provision of

में) मई, 2024 तक सरकारी अफीम और अल्केलाइड कार्य, सरकारी अफीम और एल्कलाइड कार्य) नीमच में काम बंद होने की वजह से अल्कलॉइड संयंत्र में बैचों की कम चार्जिंग होने के कारण हुई।

₹10110.00 lakhs) was due to less charging of batches in Alkaloid Plant since there was a shutdown in Government Opium and Alkaloid Works Neemuch upto May, 2024.

(ग) "अफीम को अर्ध–परिष्कृत मॉर्फिन में परिवर्तित करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान" – ₹1692.01 लाख की बचत (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा हस्तांतरित अफीम की कम कीमत होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Payment of processing fee for conversion of opium to semi refined morphine" - saving of ₹1692.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs) was due to lower cost of opium transferred by Central Bureau of Narcotics and reduction of provision at revised estimates stage.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States" - savings occurred under the following heads: -

(का) "जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए मुआवजा – राज्यों को राजस्व हानि के लिए मुआवजा" – ₹337855.98 लाख की बचत (₹1000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST - Compensation for revenue loss to States" - saving of ₹337855.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards GST compensation to states.

(खा) "आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण – माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि में अंतरण" – ₹99331.28 लाख की बचत (₹14500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम उपकर की प्राप्ति के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve funds/Deposit Account - Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund" - saving of ₹99331.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500000.00 lakhs) was due to receipt of less cess.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति– विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति" के अंतर्गत ₹263369.33 लाख की बचत (₹300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से एजी राजस्व के आंकड़ों के अनुमानित अपेक्षाओं को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3602"- "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST - Compensation for revenue loss to Union Territory Government with Legislature" - saving of ₹263369.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300000.00 lakhs) was due to AG revenue figures from UTs did not meet the projected expectations.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹729.89 लाख की बचत

(VII) Under two heads savings of ₹729.89 lakhs

हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 13 और 28 प्रतिशत थी।

2(I). उपर्युक्त बचत (₹5166.84 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2047" – "विदेशी मुद्रा का विनियमन – प्रवर्तन निदेशालय" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4608.67 लाख था।

(II) बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2047" – "माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) : विशेष परियोजन वाहन – जीएसटीएन को प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान" – ₹17062.00 लाख का अधिक व्यय (₹39438.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैकएंड कार्य पूरी तरह से सीवीआईसी से जीएसटी को स्थानान्तरित किए जाने, जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना, ई–अदालत गठित करने और जीएसटी प्रणाली के लिए नए एमएसपी (सेवा प्रदाता प्रबंध) का चयन किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – राजस्व विभाग" – ₹1255.18 लाख का अधिक व्यय (₹22185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यावसायिक सेवाओं के वेतन और भत्ते, वाहनों को किराए पर लेने, अधिक दौरे करने, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के परिसर को स्थानांतरित करने और 41वें यूरेशियन समूह पूर्ण बैठक का आयोजन और कार्य समूह की बैठकों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2070" – "नारकोटिक्स नियंत्रण – केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो" – ₹1193.33 लाख का अधिक व्यय (₹7255.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वेतन बकाया के भुगतान, किराए के बकाया, उखाड़ने और वजन करने के कार्यों और निवारक गतिविधियों में वृद्धि, नशीली दवाओं के विरोधी और निवारक कार्यों के लिए

occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 13 percent and 28 percent of the sanctioned provision.

2(I). The above savings were partly (₹5166.84 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024 under Major Head "2047" - "Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate" - ₹5166.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹4608.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2047" - "Goods & Services Tax Network (GSTN): Special Purpose Vehicle (SPV) - Payment of user charges to GSTN" - excess of ₹17062.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39438.00 lakhs) was due to shifting of backend operations from CBIC to GSTN entirely, establihment of GST Appelate Tribunal and setting of E-Courts and selection of new MSP (Manage Service Provider) for GST system.

(B) Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Revenue" - excess of ₹1255.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22185.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary and allowances of GST Appellate Tribunal, Professional Services, hiring of vehicles, more tours undertaken, shifting of premises of Central Bureau of Narcotics and conduction of 41st Eurasian group Plenary meeting and working group meetings.

(C) Major Head "2070" - "Narcotics Control - Central Bureau of Narcotics" - excess of ₹1193.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7255.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards medical reimbursements, payment of pay arrears, arrears of rent, uprooting and weighment

निष्प्रयोज्य वाहनों के बदले वाहनों को किराए पर लेने और उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के कार्यालय के अधीन प्रभाग कार्यालय के डिजिटलीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

operations and increased preventive activities, hiring of vehicles against condemned vehicles for anti-drug and preventive operations and digitization of division office under Office of the Deputy Narcotics Commissioner, Kota.

(घा) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम और अल्कलॉइड उद्योग" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआः–

(क) "गाजीपुर अल्कलॉइड कार्य – अन्य व्यय" – ₹2632.65 लाख का अधिक व्यय (₹4737.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम के उच्च उत्पादन स्तर और उच्च दर होने के कारण हुआ।

(ख) "नीमच अल्कलॉइड कार्य – मरम्मत और रखरखाव" – ₹539.24 लाख का अधिक व्यय (₹182.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शटडाउन कार्यों, स्टीम जैकेट, एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग), ईटीपी (अपशिष्ट उपचार संयंत्र) और डीजल जनरेटिंग सेट की एएमसी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण – माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण" – ₹137024.28 लाख का अधिक व्यय (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकर का अधिक संग्रह किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

(D) Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" - excess occurred under the following heads: -

(a) "Ghazipur Alkaloid Works - Other Expenditure" - excess of ₹2632.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4737.50 lakhs) was due to higher production level and higher rate of opium.

(b) "Neemuch Alkaloid Works - Repairs and Maintenance" - excess of ₹539.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹182.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards shutdown works, steam jackets, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), ETP (Effluent Treatment Plant) and AMC of Diesel Generating Set.

(E) Major Head "3602" - "Other Transfer/ Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Transfer to Reserve fund/Deposit Account - Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund" - excess of ₹137024.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs) was due to higher collection of cess.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	8671.00			
पू.	S.	1.00	5117.26	4616.84	-500.42
पु.	R.	-3554.74			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	38310.00	30090.00	30089.38	-0.62
पु.	R.	-8220.00			
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	5571.00			
पू.	S.	1.00	10063.93	9803.98	-259.95
पु.	R.	4491.93			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹8321.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹8311.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – राजस्व भवन का निर्माण" के अंतर्गत जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की गैर–कार्यात्मक पीठ की वजह से माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भवन मिलने में विलंब होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹8321.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹8311.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Construction of Rajaswa Bhawan" - due to delay in getting building for Goods and Services Tax Appellate Tribunal owing to non-functional bench of Goods and Services Tax Appellate Tribunal.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" – "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "संबद्ध कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवाएं)" – "₹580.64 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की खरीद का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवाएं)" – ₹3473.52 लाख की बचत (₹4471.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) और सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के क्रियाशील न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण– प्रवर्तन निदेशालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹3995.62 लाख की बचत (₹4999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रवर्तन निदेशालय के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(IV) मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन एवं प्रशासन – अन्य कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवाएं)" के अंतर्गत ₹720.30 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1513.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीआईएस परियोजना के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचत (₹4937.41 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसाकि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन और प्रशासन – संबद्ध कार्यालय (सामान्य/सामाजिक/आर्थिक सेवाएँ)" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4887.66 लाख था।

(II) Under Major Head "4047" - "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Attached offices (General/Social/Economic Services)" - saving of ₹580.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to non-materialisation of procurement of certain equipment.

(B) "Other Offices (General/Social/Economic Services)" - saving of ₹3473.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4471.00 lakhs) was due to non-functioning of Goods and Service Tax Appellate Tribunal (GSTAT) and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT).

(III) Under Major Head "4059" - "Office Building - Construction - Construction of Office Building for Enforcement Directorate" - saving of ₹3995.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4999.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of office building for Enforcement Directorate.

(IV) Under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Other Offices (General/Social/Economic Services)" - saving of ₹720.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1513.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2024) was due to non-finalization of tender for GIS project.

4.(I) The above savings were partly (₹4937.41 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Attached offices (General/Social/Economic Services)". Actual excess, however, was ₹4887.66 lakhs.

(II) बचत मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रति प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "भूमि अधिग्रहण – प्रवर्तन निदेशालय के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण" – ₹1086.00 लाख का अधिक व्यय (₹24900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएमआरडीए से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई कार्यालय के लिए भूमि खरीदने और भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भवन खरीदने हेतु एनबीसीसी को पूर्ण भुगतान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण – प्रवर्तन निदेशालय के लिए तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" – ₹3000.00 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निदेशालय के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एनबीसीसी से भवन की खरीद, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भूमि की खरीद, कोलकाता में आवासीय आवास की खरीद और नीमच अफीम कारखाने में कॉलोनी के नवीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5- ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि – अफीम और अल्कलॉइड कारखानेः –***

ये निधियाँ 1970–71 में अल्कलॉइड कारखानों की अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की व्यावसायिक प्रथा शुरू करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान प्रत्येक कारखाने में प्रयुक्त संपत्तियों के मूल्य पर परिकलित मूल्यह्रास, इस अनुदान में प्रति कोंट्रा नामे द्वारा इन निधियों में जमा किया जाता है। समय–समय पर निधि शेष पर ब्याज भी इस अनुदान में प्रति कोंट्रा नामे द्वारा इन निधियों में जमा किया जाता है।

वर्ष 2024–25 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा इस प्रकार थाः–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4059" - "Office Building" - under the following heads: -

(A) "Acquisition of Land - Acquisition of land for construction of Office Building for Enforcement Directorate" - excess of ₹1086.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of land for Mumbai office of Enforcement Directorate (ED) from MMRDA and making full payment to NBCC for purchasing building for Bhubaneswar Zonal office.

(B) "Acquisition of Ready Built Accommodation - Acquisition of Ready Built Accommodation for Enforcement Directorate" - excess of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of building from NBCC for Bhubaneswar Zonal office of the Directorate, purchase of land for Mumbai Zonal office, purchase of residential accommodation at Kolkata and renovation of colony at Neemuch opium factory.

5. ***Depreciation Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories: -***

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

Account of Depreciation Reserve Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

		गाजीपुर Ghazipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works
अथ शेष	Opening Balance	14,52,76	18,60,71	14,09,26	34,12,11
प्राप्तियां	Receipts	8,00	43,00	50,00	50,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	36,31	47,91	..	..
अदायगियां	Payments	..	..	..	..
अंत शेष	Closing Balances	14,97,07	19,51,62	14,59,26	34,62,11

6- *मादक पदार्थ दुरूपयोग नियंत्रण राष्ट्रीय कोषः –*

राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण कोष की स्थापना 24 मार्च, 2006 को अधिनियमित "स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम", 1985 के तहत की गई थी। इस निधि की स्थापना सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए भारत के लोक लेखा में की गई थी जिसमें मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटना, सरकारी/स्वैच्छिक/अन्य संगठनों और संस्थानों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, पहचान, परामर्श, उपचार और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के पुनर्वास करना शामिल है।

केन्द्रीय सरकार को प्राप्त राशि (संसद द्वारा सम्यक विनियोजन के पश्चात), अधिनियम के अध्याय Vक के अंतर्गत जब्त की गई किसी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया अनुदान और निवेश से प्राप्त आय निधि में जमा की जाती है तथा अधिनियम की धारा 7क में निहित प्रयोजनों के लिए निधि से प्राप्त कर उपयोग की जाती है।

वर्ष 2024–25 के लिए राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण कोष का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

6. *National Fund for Control of Drug Abuse:-*

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act", 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government /Voluntary/other organizations and institutions.

The amount received for Central Government (after due appropriation met by Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilized from the fund for the purposes contained in section 7 A of the Act.

Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	37,50,82
प्राप्तियां	Receipts	3,65,67
संवितरण	Disbursements	-
अंत शेष	Closing Balance	41,16,49

7- *माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति निधिः—*

माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 में प्रावधान है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

वर्ष 2024—25 के लिए माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि का लेखा—जोखा इस प्रकार था:—

7. *Goods & Services Tax Compensation Fund:*

The Goods & Services Tax (Compensation to States) Act 2017, provides that compensation to the States will be made for the loss of Revenue arising on account of implementation of Goods & Services Tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.

Account of Goods and Services Tax Compensation Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	38324,98,31
प्राप्तियां	Receipts	150376,93,00
संवितरण	Disbursements	130591,74,69
अंत शेष	Closing Balance	58110,16,62